

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/सफाई ठेका/332

दिनांक : 20-9-2012

निविदा सूचना 2012-13

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से स्वास्थ्य भवन परिसर की सफाई कार्य अनुमानित लागत 9.00 लाख रुपये (अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र) हेतु मोहरबन्द निविदाएं दि. 15.10.2012 को दोपहर/मध्यान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

1. निविदाएं दिनांक 01.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 12.10.2012 को दोपहर 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रुपये 400/- अक्षरे रुपये चार सौ रुपये मात्र जमा कराकर प्रभारी अधिकारी स्थाई भण्डार से प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 15.10.2012 को दोपहर 12.00 बजे तक, समय प्राप्त निविदाएं उक्त दिनांक 15.10.2012 को दोपहर 1.00 बजे कमैटी द्वारा खोली जावेगी।
3. निविदा के साथ अमानत राशि रुपये 18,000/- नकद जमा की रसीद या डी.डी. /बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा करानी होगी।
4. निविदा का विस्तृत विवरण शर्तें आदि विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
5. निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा शुल्क के साथ दिनांक 15.10.2012 को मध्यान्ह दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है।
6. किसी भी निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) को होगा।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र – “अ”

सफाई ठेका

विषय : सफाई निविदा के लिए।

1. निविदा देने वाली फर्म का नाम मय दूरभाष नं.
2. पता :
3. फर्म का पंजीयन क्रमांक :
4. टेण्डर इस पते पर भेजा जावे : निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन)
5. निविदा फार्म बिक्री का प्रारम्भ दिनांक 01.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 12.10.2012 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक
6. निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 15.10.2012 मध्यान्ह 12.00 बजे तक
7. निविदा खोलने की दिनांक 15.10.2012 को दोपहर 01.00 बजे
8. निविदा शुल्क का विवरण : राशि रुपये 400/— नकद की रसीद संख्या..... दिनांकडी.डी./बैंकर चैक संख्या.....दिनांक.....
9. अमानत राशि का विवरण रुपये राशि 18,000/— (अक्षरे अठ्ठारह हजार मात्र) नकद की रसीद संख्यादिनांक.....बैंक का नाम.....
.....(डी.डी./बैंकर चैक प्रस्तुत करने पर)
संलग्न सभी शर्तों का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लिया गया है। सभी शर्तें मान्य होने के कारण निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
ठेके की प्रस्तावित दर प्रपत्र “ब” (वित्तीय बिड) में अलग लिफाफे में दी जानी है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम, फर्म का नाम एवं
पता
फोन नं.
मोबाईल नं.

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र अ

अनुबन्ध की शर्तें

नोट :- निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक(जन स्वा0) से लिखित में पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। निविदा विभाग में प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी शर्त के संबंध में निदेशक(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। तथा वह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

1. कोटेशन निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबंद दो { तकनीकी निविदा लिफाफा (अ) एवं वित्तीय निविदा लिफाफा (ब) } लिफाफे में बंदकरके भेजे जाने चाहिए। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखे जाने हैं।
2. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरे शब्दों के साथ-साथ अंकों में लिखी जानी चाहिए। यदि अंको एवं शब्दों में कोई भिन्नता रह जाती है, तो जो राशि न्यूनतम दर्शाई गई है वह मानी जावेगी।
3. निविदा उन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो वास्तव में उल्लेखित प्रकार के कार्यों के लिये अनुमोदित/अधिकृत हैं या जो वास्तव में उल्लेखित कार्यों को कर रहे हैं।
4. निविदाकार अपनी निविदा को सबलैट नहीं कर सकेगा।
5. उल्लेखित कार्य में आने वाले सभी साज व सामान जैसे फिनायल, रोमोकोल, फिनायल गोली, वाशिंग पाउडर, कोलीन, झाड़ू, पोंछा, डस्टर, साबुन, ब्रुश, एसिड, ओडोनील इत्यादि समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार अपने स्वयं के खर्चे से करेगा जिसके लिये उसे अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
6. उपयोग में लिया जाने वाला सम्पूर्ण साज व सामान उनके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा प्रमाणिक नमूनों से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए। कोई ऐसा साज सामान जिसके लिये कोई प्रमाणित नमूना न हो, उक्त सामान बाजार से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए जिन सामानों को अस्वीकारा जाये या बदलवाया जावे ऐसी वस्तुओं की अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण निविदाकार को कोई हानि हो तो उसके लिए विभाग किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। इस संबंध में निदेशक(जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
7. संपादित किये जाने वाले कार्य स्थल पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि उचित समय पर उपयोग में आने वाले/उपयोग में लिये जा रहे साज व सामान की

- जांच व परीक्षा करने में सक्षम होगा।
8. ठेकेदारों/निविदादाताओं को जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, बहुमंजिला "ए" क्लास कम से कम 50,000 स्क्वा.फीट कवर्ड एरिया वाले भवनो तक सफाई कार्य करने का उत्कृष्ट अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, निविदापत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 9. उपरोक्त सूचनाए मय साक्ष्यों के एक लिफाफे में जिस पर स्पष्टतया भाग "अ" –तकनीकी बिड " अंकित किया जावे, निविदादाता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर अंकित कर सीलबंद कर प्रस्तुत की जावे। भाग "अ" तकनीकी बिड तथा भाग "ब" वित्तीय बिड का लिफाफा अलग – अलग बनाया जावेगा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के लिफाफे अलग- अलग सील बंद कर तीसरे बड़े लिफाफे में एक साथ रख कर जमा किये जाने हैं। प्रारंभ में "अ" अर्थात तकनीकी बिड ही खोली जावेगी एवं तकनीकी बिड में सफल रहने पर ही वित्तीय निविदा अर्थात भाग "ब" का लिफाफा खोला जावेगा।
 10. (1) प्रथम (भाग "अ") लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, अमानत राशि का ड्राफ्ट, कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र, ई.एस.आई., भविष्यनिधि, तथा श्रम विभाग में पंजीकरण के प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर सीलबंद कर डाले जावे लिफाफे पर तकनीकी बिड लिखा होना चाहिए।
(2) निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आदि इस विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के निविदा शुल्क रुपये 400/- का डी. डी./बैंकर चैक जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य हो। तकनीकी बिड के लिफाफे 'अ' में संलग्न होना चाहिए, अन्यथा निविदा निरस्त करदी जावेगी।
 11. कार्य सम्पादन में सामानो का उपयोग समुचित मानदण्डो के अनुसार किया जावेगा। मानदण्डो से कम सामान का उपयोग करने पर विभाग के विवेकानुसार राशि की कटौती विपत्रो से कर ली जावेगी।
 12. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत डाक द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।
 13. समस्त दरें, कर आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये होगी। निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
 14. कार्यों का संपादन एवं साज सामानो का उपयोग विभाग की दृष्टि से संतोषजनक रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र लेकर मासिक विपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा

जिसके अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।

15. स्वयं निविदाकार अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुंचायें जाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ती निविदादाता से कराई जावेगी।
16. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औधागिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्हीं परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।
18. यदि निविदाकार के कार्य से निदेशालय के किसी अनुभाग में कोई भी शिकायत आने पर सही पाई गई, तो ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी।
19. अनुबंध प्रारम्भ में 1 वर्ष के लिये होगा जिसकी अवधि स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक होगी। विभाग की इच्छा पर अनुबंध में इन्ही शर्तों के आधार पर एक वर्ष तक की और वृद्धि विभाग के स्वविवेकानुसार की जा सकती है।
20. निविदाकार को निविदा और अनुबंध की शर्तों और प्रतिबंधों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए।
21. निविदा के साथ धरोहर राशि विभाग में नकद जमा की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में होने चाहिए। निविदा स्वीकार की स्थिति में उक्त धरोहर राशि जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।

क.स	कार्य का विवरण	धरोहर राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	स्वास्थ्य भवन का सफाई कार्य	18,000 / -	400 / -

22. सफल निविदाकार/निविदाकारों को निर्धारित प्रारूप में 500/- रु के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा और निविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा करवाने होंगे। प्रतिभूति की रकम समस्त अनुबंध को सफलता ब्याज नहीं दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा, विभाग द्वारा निविदाकार को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित

करार की एक सत्यापित प्रति निशुल्क दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतः या अंशतः जमा जब्त कर ली जावेगी और इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

23. निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की जाने वाले संवाचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
24. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, परन्तु निविदाकार के लिखित निवेदन पर जिसमें विभाग के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो तो करार के समय तक प्रस्तुत करने की छूट विभाग दे सकता है।
25. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा विभाग में प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से तीन माह की समय अवधि तक वैध (वैलिड) होगी। इस तीन माह की अवधि में निविदाकार अपनी निविदा को वापिस नहीं ले सकेगा। विभाग द्वारा निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना के बाद एक सप्ताह की समयावधि में निविदाकार को शर्त संख्या 22 के अनुसार प्रतिभूति राशि जमा करके करार का निष्पादन करना होगा।
26. अनुबंध की समस्त शर्तों की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारूप में व तीन प्रतियों में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग कैश/चैक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। मासिक बिल ठेके की पूर्ण राशि का बारहवां भाग होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। ठेकेदार के आवेदन पर विभाग आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
27. समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालयों का होगा।
28. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाये अस्वीकार कर दी जावेगी।
29. निम्न हस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार होगा।
30. निर्धारित समय पर या निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न करने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) का होगा।

सम्पादित किये जाने वाले कार्य व समयावधि नीचे लिखे अनुसार होगी।

31. स्वास्थ्य भवन परिसर में स्वास्थ्य भवन के समस्त ए, बी, सी, डी ब्लॉक, /एनआरएचएम, आरएमएससी/एड्स भवन, वाहन चालक प्रशिक्षालय व परिसर का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है। जिसमें उक्त ब्लॉक्स के कमरे, बरामदे, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, शोचालय, प्याउ, सीढ़ियां, लिफ्ट रुम, छत, सड़क, फुटपाथ, कार एवं मोटरसाईकिल स्टेन्ड, बगीचे, बाहरी खाली पड़ा क्षेत्र समस्त सीवरेज व ड्रेनेज नालियां, छते, दीवारे,

दरवाजे, खिडकियां, कॉच, जालियां, पर्दे, पंखे, ट्यूबलाईट, अलमारियां, पीकदान, थूकदान, समस्त पानी की टंकियां इत्यादि सम्मिलित है तथा स्वास्थ्य भवन परिसर में समय-समय पर होने वाले निर्माण (भवन/कक्ष) के पूर्ण होने पर उसकी साफ-सफाई का कार्य भी सम्मिलित है।

32. ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 सफाई श्रमिकों को कार्य पर लगाना आवश्यक होगा। निरीक्षण करने पर यदि श्रमिक की संख्या कम पाई गई तो प्रति दिन देय राशि में, कम संख्या पाये गये श्रमिकों का वेतन कम कर दिया जायेगा एवं 5 प्रतिशत राशि अलग से माहवार राशि में से कम कर भुगतान किया जावेगा।
33. स्वास्थ्य भवन का सम्पूर्ण सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक पूरा करना होगा। प्रातः 9 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में विभाग द्वारा 500-/- प्रति दिन का जुर्माना लगाया जावेगा। उपरोक्त जुर्माना राशि ठेकेदार के मासिक बिल में से काट ली जावेगी।
34. प्रातः 8.00 बजे से सायं 6 बजे तक सभी सफाई श्रमिक मय वर्दी में जिस पर नेम प्लेट का वेज भी लगा होगा उपस्थित रहेंगे तथा स्वास्थ्य भवन की सफाई को नोट क्लीन रखेंगे।
35. स्वास्थ्य भवन की समस्त सीढ़ियों, स्वागत कक्ष, लिफ्टों, बरामदे, पोर्च तथा पोर्च की सीढ़ियों की सफाई व पोछा दिन में दो बार करना होगा।
36. स्वास्थ्य भवन के समस्त कमरों, दरवाजों, खिडकियों, जालियों, शीश के दरवाजे, आदि की सफाई व पोछा दिन में एक बार आवश्यक रूप से करना होगा।
37. स्वास्थ्य भवन के समस्त कचरा पात्रों, पीकदान/थूकदान आदि की सफाई प्रतिदिन करनी होगी तथा उसमें मिटटी/राख भी प्रतिदिन डालनी/बदलनी होगी।
38. स्वास्थ्य भवन की समस्त सड़को, फुटपाथों, भवन के चारों ओर की रेलिंग के अन्दर, परिसर, कार व स्कूटर स्टैण्ड, कैन्टीन व सफाई आवश्यक होने पर धुलाई प्रतिदिन करनी होगी तथा स्वास्थ्य भवन के जिन कमरों में फ्लोर टाइल्स लगी हुई है उनमें प्रतिदिन पोछा लगाना होगा।
39. स्वास्थ्य भवन की छत, पानी निकासी के पाईप, लिफ्ट रुम की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
40. स्वास्थ्य भवन में संवेदनशील क्षेत्रों कोरीडोर मा0 मंत्री जी के कक्ष, निदेशको के कक्ष, कॉन्फ्रेंस व मीटिंग हॉल, लाईब्रेरी, ई.पी.ए.बी.एक्स कम्प्यूटर सर्वरकक्ष आदि की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रों से प्रतिदिन करवानी होगी।
41. स्वास्थ्य भवन के समस्त ट्यूबलाईट फिक्सचर, पंखों, मरकरी, लाईट व विद्युत ट्रांसफार्मर कक्ष की सफाई माह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी।
42. स्वास्थ्य भवन में मच्छरों इत्यादि के लिये कीटनाशक दवाई, (फिनाइल) का प्रयोग सांय 6-7 बजे प्रतिदिन करना होगा तथा चूहों की रोकथाम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
43. स्वास्थ्य भवन के समस्त पुराने व आधुनिक प्रकार के पर्दों की सफाई ब्रुश व वैक्यूम क्लीनर से माह में दो बार आवश्यक रूप से करनी होगी।
44. स्वास्थ्य भवन में राजकीय अवकाश के दिन बरामदों, सीढ़ियों, शोचालयों तथा चोपहिया वाहन व स्कूटर स्टैण्डों की सफाई व धुलाई का कार्य करना होगा।

45. स्वास्थ्य भवन में जाले हटाने का कार्य सप्ताह में एक बार तथा आवश्यक हो तो तुरन्त करना होगा।
46. स्वास्थ्य भवन के कमरो, बरामदो, एव परिसर में से पुराना रिकार्ड, नया पुराना फर्नीचर अलमारिया, कूलर व अन्य सामान को हटाना या उपर नीचे निर्दिष्ट स्थानों पर लाने व ले जाने का कार्य भी केयर टेकर के निर्देशानुसार करना होगा। इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
47. स्वास्थ्य भवन के कमरो/अनुभागों व बरामदो में रखे बस्तों/रिकार्ड अलमारियो, रेक्स पर जमी डस्ट/धूल व जाले सप्ताह में एक बार साफ करने होंगे।
48. स्वास्थ्य भवन में सफाई करने के बाद समस्त कूड़ा करकट व कचरे को भवन के बाहर नगर निगम द्वारा बताये गये उचित स्थान पर डलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
49. ठेकेदार को निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा दी गई समस्त हिदायतो/निर्देशों का अनुबंध में समावेश नहीं होने पर भी पालना करनी होगी।
50. ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर निम्न प्रकार से कटौतिया की जावेगी।
 1. किसी दिन पूर्ण कार्य नहीं करने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं 1000/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती लगाई जावेगी।
 2. आंशिक रूप से कार्य करने पर उस दिन के भुगतान में से 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी एवं 500/- रुपये की शास्ती लगाई जावेगी।
51. सफाई कार्य के विवरण में दिये गये सफाई कार्य को करते समय यदि किसी सफाई श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या श्रमिक किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिये मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा एवं ना ही विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार होगा।
52. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य में लगे समस्त श्रमिकों का नाम, पता, व एक फोटो कार्य प्रारम्भ करने के समय से ही विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा तथा श्रमिक के बदले जाने या नये लगाये जाने पर भी नाम, पता व फोटो उपलब्ध करवाई जावेगी।
53. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य के निरीक्षण एवं विभाग से कोआर्डिनेशन हेतु एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जावेगा जो प्रति दिन प्रातः 8.30 बजे से सांय 6 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।
54. ठेकेदार को समय समय पर सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से करने की हिदायत दिये जाने के बाद यदि सुधार नहीं हुआ तो एक माह का नोटिस दिया जाकर ठेके को समाप्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) को होगा।
55. स्वास्थ्य भवन में शोचालयों में लगे समस्त शॉफ्टों, ड्रेनेज पाइपों, सीवर लाईन जो कि योजना भवन से नगर निगम के मुख्य नाले तक जाती है वहां तक व मैनहोल की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी तथा चोक/बन्द हो जाने पर उसी समय ठेकेदार द्वारा नगर निगम से सीवर लाईन खोलने की जेट मशीन मंगवाकर ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर खुलवानी होगी तथा तोड़-फोड़ की मरम्मत भी ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर करवानी होगी।

56. निविदा सूचना स्थाई भण्डार/सफाई ठेका वर्ष 2012-13 के संदर्भ में भवन की सफाई व्यवस्था की जो शर्तें आपके द्वारा रखी गई हैं व समस्त शर्तें हम स्वीकार करते हैं, अतः प्रत्येक पृष्ठ पर हमने शर्तों का पालन करने हेतु हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम

डाक पता.....

मोबाईल न0.....

फोन न0

(फर्म के लेटर पैड पर)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समाप्त/जप्त कर दिया जाये तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण नाम
डाक पता.....
.....
मोबाईल न0.....
फोन न0

सफाई व्यवस्था के अनुभव का विवरण

उदाहरण जैसे :-

हस्ताक्षर निविदाता

मय नाम.....

पता.....

प्रपत्र "ब"

S.No	Type	Rate per Month	Qty.	Unit Cost Per Month	Total
1.	जमादार				
2.	सफाईकमी				
3.	सफाई सामान				
Sub Total					

शर्तों में चाहे गये समस्त कागजात/प्रमाणपत्र प्रपत्र "अ" के साथ संलग्न किये जाने चाहिये।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम.

पूरा पता.....

दूरभाष कार्यालय एवं निवास

.....

मोबाईल न0

अलग लिफाफे में सील करके डाला जाना है।
"वित्तीय निविदा" निविदा प्रपत्र "ब"

स्वास्थ्य भवन की सफाई का ठेका वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिए

सफाई की दरे भरकर ठेकेदार हस्ताक्षर करे तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बंद करे एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरो में वित्तीय बिड (ठेके की दरे) अकिंत करे।

फर्म का नाम.....
फर्म का पता

स्वास्थ्य भवन परिसर के सफाई कार्य की दरे रुपये.....
प्रतिमाह (अक्षरे रुपये).....

प्रतिमाह) समस्त कर

नोट :- ठेके की प्रस्तावित दर अकों व शब्दों में समान होनी चाहिए तथा किसी प्रकार की कांट-छांट नही होनी चाहिये। अकों व शब्दों में राशियों में अन्तर होने पर अथवा कांट-छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
डाक पता

मोबाईल न0.....

फोन न0